सबैटिकल अवकाश नियमावली

भाकृअनुप
ICAR

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली

विषय - सूची

		पृष्ठ सं.
1.	प्रयोजन	3
2.	पात्रता	3
3.	अवधि	3
4.	आवेदन कैसे करें	4
5.	सक्षम प्राधिकारी	4
6.	वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान	4
7.	अन्य शर्ते	5
8.	अवकाश की समाप्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना	5
9.	आवेदन का प्रपत्र	6

सबैटिकल अवकाश नियमावली

1. **प्रयोजन**

सबैटिकल अवकाश, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए किसी सम्बद्ध संस्थान या भारत अथवा विदेश में किसी संस्थान में शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक स्टॉफ को अपनी व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए होगा। ऐसे संस्थानों की एक सूची भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा परिचालित की जाएगी और समय–समय पर अद्यतन की जाएगी।

2. **पात्रता**

1. सबैटिकल अवकाश वरिष्ठ वैज्ञानिक (रीडर के वेतनमान अर्थात् 3700–5700 रुपये) अथवा उससे अधिक वेतनमान वाले को प्रदान किया जाए। वैज्ञानिक की आई.सी.ए.आर./एस.ए.यू. में कम से कम छः वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
2. यह अवकाश दस वर्ष में एक बार प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित वैज्ञानिक/संकाय सदस्य पिछले दस वर्षों के दौरान एक वर्ष की अवधि या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर या नियुक्ति अथवा अध्ययन अवकाश पर न गया हो।
3. वैज्ञानिक/संकाय सदस्य का सबैटिकल अवकाश पूरा होने पर, सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम पांच वर्ष की सेवा का कार्यकाल होना चाहिए।

3. **अवधि**

सबैटिकल अवकाश किसी वैज्ञानिक/संकाय सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान दो बार, अधिकतम एक–एक वर्ष की अवधि, तक सीमित होगा।

4. **आवेदन कैसे करें**

1. सबैटिकल अवकाश लेने के इच्छुक वैज्ञानिक को अनुबंध–1 में दिए गए प्रपत्र में आवेदन करना चाहिए।
2. संबंधित वैज्ञानिक को, प्रस्तावित अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण/अध्यापन या आई.सी.ए.आर./एस.ए.यू. के आदेश से संबंधित व्यावसायिक कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए मेजबान संस्थान का स्वीकृति–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
3. सबैटिकल अवकाश का आवेदन, संबंधित संस्थान द्वारा अपनी सिफारिशों सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय को कम से कम चार–छः महीने पहले अग्रेषित किया जाएगा। अवकाश की मंजूरी का आवेदन देते समय मेजबान संस्थान को वचन भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

5. **सक्षम प्राधिकारी**

सबैटिकल अवकाश प्रदान करने के लिए महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सक्षम प्राधिकारी होंगे।

6. **वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान**

1. देश के भीतर ही सबैटिकल अवकाश की अवधि के दौरान, वैज्ञानिक उसी पूरे वेतन व अन्य भत्तों का पात्र होगा जो अन्यथा उसे नियमित सेवा में रहते हुए देय होते।
2. सभी प्रयोजनों के लिए सबैटिकल अवकाश की अवधि को, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की पात्रता के बिना, 'ड्यूटी पर' माना जाएगा। फिर भी यदि वैज्ञानिक को फैलोशिप/यात्रा अनुदान नहीं दिया जाता है, तो वे अपने संस्थान से मेजबान संस्थान तक सबैटिकल अवकाश के दौरान यात्रा लागत तथा अन्य खर्चों को वहन करने के लिए 50,000/– रुपये की एकमुश्त राशि के पात्र होंगे और यह राशि ए.एच.आर.डी./उपकर निधि सहायता से प्रदान की जाएगी।
3. वेतन के अतिरिक्त वैज्ञानिक/संकाय सदस्य को विदेशी संस्थान से यात्रा व्यय सहित निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की अनुमति है, बशर्ते कि वे सबैटिकल अवकाश की अवधि किसी विदेशी विश्वविद्यालय/प्रयोगशाला/संस्थान में गुजार रहे हों।

अन्य शर्तें

1. किसी वैज्ञानिक/संकाय सदस्य को आई.सी.ए.आर. अथवा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्राप्त की जा रही छात्रवृत्ति या फैलोशिप के समय भी सबैटिकल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
2. सबैटिकल अवकाश को किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।
3. संबंधित वैज्ञानिक सबैटिकल अवकाश पर जाने से पहले यह वचन पत्र देंगे कि वे इस अवकाश का उपयोग उक्त 4(2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ही करेंगे, जिसके लिए यह सबैटिकल अवकाश मंजूर किया गया है और इस अवकाश की अवधि के दौरान कोई लाभप्रद नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे तथा यदि वे अवकाश लेने के तीन वर्ष के बाद तक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के बाहर किसी संस्था में कोई कार्यभार संभालते हैं, तो उन्हें सबैटिकल अवकाश की अवधि के दौरान दिए गए वेतन व अन्य परिलब्धियों को वापस करना होगा।
4. सबैटिकल अवकाश की अवधि के दौरान वैज्ञानिक/संकाय सदस्य उसे प्रदान किये गए सरकारी आवास को अपने पास ही उन्हीं शर्तों पर रख सकेगा जो आई.सी.ए.आर./एस.ए.यू. के अन्य कर्मचारियों पर लागू हैं।
5. देश के भीतर मेजबान संस्थान, कार्यालय, कार्यस्थल, प्रयोगशाला, परिवहन तथा उपयुक्त आवास सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

3. अवकाश की समाप्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना

सबैटिकल अवकाश पूरा होने पर, वैज्ञानिक किए गए कार्य व प्राप्त उद्देश्यों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजित संस्थान के निदेशक, संबंधित एस.ए.यू. के कुलपति द्वारा अपनी टिप्पणियों सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय को अग्रेषित की जाएगी।

आई.सी.ए.आर. फाइल सं. 8–4/91–का.–4 दिनांक 02 अगस्त, 1996

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
सबैटिकल अवकाश की मंजूरी के लिए आवेदन का प्रपत्र (प्रोफार्मा)

1. वैज्ञानिक / संकाय सदस्य का नाम : ______________________

2. पदनाम : ______________________

3. वेतनमान : ______________________

4. सरकारी पता : ______________________

   : ______________________

5. निवास का पता : ______________________

6. आई.सी.ए.आर. / एस.ए.यू. में भर्ती की तारीख : ______________________

7. वांछित अवकाश के आरंभ होने की प्रस्तावित तारीख तक सेवाकाल की अवधि :

   ____

8. मूल संस्थान का नाम : ______________________

9. आपकी सेवानिवृत्ति की तारीख क्या है : ______________________

10. क्या आप इस अवकाश के बाद, सेवानिवृत्ति से पहले परिषद में 3 वर्ष से अधिक तक सेवा करेंगे : ______________________

11. क्या वैज्ञानिक/संकाय सदस्य को सौंपे गए कार्य को देखने के लिए मूल संस्थान में कोई प्रबंध किया गया है

: ______________________

12. क्या वैज्ञानिक ने पिछले दस वर्षों में एक वर्ष या अधिक का प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति/अध्ययन अवकाश लिया है

: ______________________

13. पिछले दस वर्षों में प्रतिनियुक्ति का विवरण दें (यदि स्थान कम हो तो अनुबंध लगाएं)

: ______________________

14. क्या आपने पहले सबैटिकल अवकाश लिया है

: ______________________

15. सबैटिकल अवकाश के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम का शीर्षक

: ______________________

16. मेजबान संस्थान का नाम व पता

____

17. क्या मेजबान संस्थान ने प्रस्तावित कार्यक्रम मंजूर कर दिया है, हां/नहीं यदि हां, तो स्वीकृति पत्र संलग्न करें

अनुबंध सं. : ______________________

18. पर्यवेक्षक / समन्वयकर्ता का नाम व पूरा पता

: ______________________________

____

19. अनुमोदित कार्यक्रम का संक्षिप्त सार दें (यदि स्थान अपर्याप्त है, तो अनुबंध लगाएं)

: ______________________________

____

20. क्या आपको इस अवकाश के दौरान कोई छात्रवृत्ति / शिक्षावृत्ति / सहायता / कोई अन्य सहायता (कृपया बताएं) प्राप्त हो रही है / प्राप्त होने की आशा है : हां / नहीं

यदि हां, तो संस्थान का नाम, उसका पूरा पता, परिलब्धियां तथा इस अवधि के दौरान छात्रवृत्ति / शिक्षावृत्ति / सहायता / अन्य किसी सहायता की अवधि (कृपया निर्दिष्ट करें) बताएं

: ______________________________

____

21. क्या वैज्ञानिक / संकाय सदस्य सरकारी आवास रखना चाहते हैं हां / नहीं

यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे निवास पर सम्पर्क किया जा सके

: ______________________________